

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)सं.प.अ./ 86 /2021

दिनांक : 07.06.2021

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक स्था.(रा.न्या.से.)सं.प.अ./63/2021 दिनांक 26.03.2021 के द्वारा श्रीमती आँचल अग्रवाल (RJ0672), प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, अलवर को दिनांक 30.03.2021 से 15.05.2021 तक 47 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) दिनांक 27.03.2021 से 29.03.2021 एवं 16.05.2021 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया गया था, जिसमें से दिनांक 15.05.2021 का एक दिवस का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) निरस्त किया जाता है।

आज्ञा से

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.र(4)/41/2011/ 376 \

दिनांक 07.06.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं मेशन न्यायाधीश, अलवर को उनके पत्रांक 16962 दिनांक 25.05.2021 के मन्दर्भ में।
3. श्रीमती आँचल अग्रवाल (RJ0672), प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, अलवर।
4. प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, अलवर।
5. श्रीमती करुणा शर्मा (RJ0766), अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-02, अलवर।
6. अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-02, अलवर।
7. संबंधित कोषालय।
8. संबंधित लिपिक/स्थानान्तरण-पदस्थापन लिपिक, आर. जे. एस. (स्था.) शाखा रा.उ.न्या., जोधपुर।

रजिस्ट्रार